

सि. म. ४४२२
२४/४

उत्तरांचल शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या: 1059/लो0नि0-1 / 2003-95(अधि0) / 02
देहरादून: दिनांक: 25 अप्रैल, 2003

अधिसूचना प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003

भाग - एक - सामान्य

- 474
२४/५
- | | |
|--------------------|---|
| संक्षिप्त नाम | 1-(एक) यह नियमावली उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2003 कही जायेगी । |
| | (दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । |
| सेवा की प्रास्थिति | 2- उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह "ख" के पद समाविष्ट है । |
| परिभाषायें | 3- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है ;
(ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;
(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है ;
(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है ;
(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है ;
(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ; |

- (ज) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग, स. यांत्रिक शाखा) सेवा से है ;
- (झ) "संविधान" का तात्पर्य " भारत का संविधान" से है ;
- (ञ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में से किसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जा गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी
- (ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग - दो - संवर्ग

- सेवा का संवर्ग 4- (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय।
- (2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें; सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है।
- परन्तु
- (एक) राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं ; जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।
- (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग - तीन - भर्ती

- भर्ती का स्रोत 5- सेवा के किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-
- (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
- (दो) (i) 45 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में; जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
- (ii) 5 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में; जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो एवं जो नियम 8 की शैक्षिक अर्हता रखते हों- पदोन्नति द्वारा, परन्तु ऐसे अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इस कोटे के पद नियम 5 दो (i) उल्लिखित स्रोत से भरे जा सकते हैं।

या

विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (मान्यता प्राप्त) की 'क' व 'ख' की परीक्षा उत्तीर्ण हो।

अधिमानी अर्हताएं 9.

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो ,या

(दो) राष्ट्रीय कैडेटकोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10.

सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेन्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां "विज्ञापित" की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11.

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लें।

टिप्पणी :-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति-12.

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी

पात्र न होगा ,जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न हागी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवत हो ;

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है ।

शारीरिक स्वस्थता-13.

किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें ;

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थता के चिकित्सा प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग - पांच -भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का -14. अवधारण

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और इसकी सूचना आयोग को देगा ।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया-15.

(i) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(ii) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(iii) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारिणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोगनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(iv) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता कम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा-16.
भर्ती की प्रक्रिया

पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची 17.

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो, एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग- छ:- नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18.

(i) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(ii) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों श्रोतों से चयन न कर लिया

परिषदीय
के अर्थों
को ध्यान
रखें

जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

- (iii) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी कि यथास्थिति चयन में आधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें से उन्हें पदोन्नति किया जाये। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

परिवीक्षा

19.

- (i) सेवा में किसी पद पर किसी मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- (ii) इस दो वर्ष की अवधि में सीधी भर्ती के सभी सहायक अभियन्ताओं को कालागढ़ प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- (iii) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

- (iv) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

- (v) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (iv) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाएं समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

- (vi) परिवीक्षा अवधि में एक माह की नोटिस पर अथवा एक माह का वेतन देने पर सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

- (vii) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 20.

- (i) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी

परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ा
अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर
यदि:-

- (क) उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
- (ख) उसका कार्य और आचरण संतोष जनक बताया।
- (ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये।
- (घ) कालागढ प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।
- (ङ.) सरकार उसको स्थायी करने को उपयुक्त समझती हो।

(ii) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियम 1991 (यथा उत्तरांचल में लागू)के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण नहीं है यहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह करते हुये आदेश जारी करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 21.

पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-सात-वेतन इत्यादि

वेतनमान 22.

(i) सेवा में पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(ii) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निर्धारित
दिए गये हैं-

1. सहायक अभियन्ता विद्युत और यांत्रिक (8000-275-13500)

परिवीक्षा
अवधि 23.

(i) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(ii) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(iii) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग - आठ - अन्य उपबन्ध

- पक्ष समर्थन** 24. किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।
- अन्य विषयों का विनियमन** 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आतें हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
- सेवा की शर्तों में शिथिलता** 26. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के हो हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रह हुए, जिन्हे वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
- परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श लिया जायेगा।
- व्यावृत्ति** 27. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

N. Ran Shanker
(एन0 रवि शंकर)
सचिव।

अधिसूचना संख्या: 1059/ लो0नि0-1/ 2003-95(अधि0)/ 02 दिनोंक: 25 अप्रैल, 2003 का परिशिष्ट

[नियम 4 (2) देखें]

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
01.	सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक)	19

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या- 1524/III(1)/14-96(अधि0)/2002
देहरादून, दिनांक 28 नवम्बर, 2014

अधिसूचना संख्या- 2070 / III(1)/14-96(अधि0)/02, दिनांक नवम्बर, 2014 को प्रख्यापित "उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल) (संशोधन) सेवा नियमावली 2014 एवं उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली 2014" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त मण्डल आयुक्त, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की को प्रश्नगत नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रतियों को इस आशय से संलग्न प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-क में मुद्रित कराकर इसकी 500 प्रतियां लोक निर्माण विभाग, अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या- 2070/111(1)/14-95(अधि0)/2002
देहरादून, 28 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल भारत का "संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा)
(संशोधन) सेवा नियमावली, 2014**

संक्षिप्त नाम-

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) (संशोधन), सेवा नियमावली, 2014 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन-

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003 में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रखा जायेगा:-

**स्तम्भ-एक
वर्तमान नियम**

भर्ती का स्रोत

सेवा के किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

(एक) 40 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा:-

(दो) (i) 45 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हों, पदोन्नति द्वारा;

(दो) (ii-क) 5 प्रतिशत पद कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हों, पदोन्नति द्वारा;

स्तम्भ-दो

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

भर्ती का स्रोत

सेवा के किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

(एक) 40 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,

(दो) (एक) 45 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) एवं अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा;

सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गई सेवा, जहां अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई हो, वहां कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई सेवा के आधार पर की जायेगी।

(दो) (एक-क) 5 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) एवं अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा;

सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गई सेवा, जहां अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गई हो, वहां कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई सेवा के आधार पर की जायेगी।

(दो) (ii) 8.33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) में से उनके अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि अथवा विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (मान्यता प्राप्त) की "क" व "ख" की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, पदोन्नति द्वारा।

(दो) (ii-क) 1.67 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) में से उनके संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, एवं जिन्होंने भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि अथवा विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (मान्यता प्राप्त) की "क" व "ख" की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, पदोन्नति द्वारा।

(दो) (दो) 8.33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) एवं अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, एवं जो नियम-8 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता रखते हों, पदोन्नति द्वारा;

सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गई सेवा, जहां अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गई हो, वहां कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई सेवा के आधार पर की जायेगी।

(दो) (दो-क) 1.67 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) एवं अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक/संगणक) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, एवं जो नियम-8 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता रखते हों, पदोन्नति द्वारा;

सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गई सेवा, जहां अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गई हो, वहां कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गई सेवा के आधार पर की जायेगी।

आज्ञा से

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. /III(1)/14-95 (Establishment)/2002, dated November, 2014 for general information:

UTTARAKHAND SASHAN
No. 2070/III(1)/14-95 (Establishment)/2002
Dated Dehradun, 28 November, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttarakhand Public Works Department Assistant Engineers (Electrical/Mechanical Branch) Service Rules, 2003

**THE UTTARAKHAND PUBLIC WORKS DEPARTMENT ASSISTANT ENGINEERS
(ELECTRICAL/MECHANICAL BRANCH) (AMENDMENT) SERVICE RULES, 2014**

Short Title and Commencement—

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Public Works Department Assistant Engineers (Electrical/Mechanical Branch) (Amendment) Service Rules, 2014
- (2) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 5-

In the Uttarakhand Public Works Department Assistant Engineers (Electrical/Mechanical Branch) Rules, 2003, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule- 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted.

**COLUMN-1
Existing rule**

Source of Recruitment

Recruitment to a post in the service shall be made from the following sources.

1. 40 percent by direct recruitment through the Commission
2. (i) 45 percent by promotion from amongst the substantively appointed Junior Engineer (Electrical and Mechanical), in the ratio of their cadre strength who have completed seven year's satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment.

**COLUMN-2
Rules as here by substituted**

Source of Recruitment

Recruitment to a post in the service shall be made from the following sources.

1. 40 percent post by direct recruitment made from Public Service Commission
2. (i) 45 percent post by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineer (Electrical and Mechanical) and Additional Assistant Engineer (Electrical and Mechanical), who have completed seven year service on the first day of the year of recruitment.

Computation of length of the service for promotion to the post of Assistant Engineer will be done for the continuous length of



service done in capacity of Junior Engineer, in case of junior engineer been promoted to the post of Additional Assistant Engineer, The same shall be computed for the combined length of service done in capacity of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer.

2. (i-a) 5 percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Technical and Computer) in the ratio of their cadre strength who have completed Seven years of satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment,

2. (i) **5 percent** post by promotion from amongst the substantively appointed Junior Engineer (Technical and Computer) and Additional Assistant Engineer (**Technical and Computer**), who have completed seven year service on the first day of the year of recruitment.

Computation of length of the service for promotion to the post of Assistant Engineer will be done for the continuous length of service done in capacity of Junior Engineer, in case of junior engineer been promoted to the post of Additional Assistant Engineer, The same shall be computed for the combined length of service done in capacity of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer.

• (2) (ii) 8.33 percent by promotion from amongst the substantively appointed Junior Engineer (Electrical and Mechanical) in the ratio of their cadre strength who have completed five year of satisfactory service as such, on the first day of the year of recruitment and who passes a Bachelor's Degree in Electrical and Mechanical Engineering from a University Established by Law in India or a Degree recognized by the Government as equivalent there to or must have passed section 'A' and 'B' examination of the Institution of Engineers (India) in Electrical and Mechanical Engineering.

(2) (ii) **8.33 percent** post by promotion from amongst the substantively appointed Junior Engineer (Electrical and Mechanical) and Additional Assistant Engineer (**Electrical and Mechanical**), who have completed **five years** of satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment and who passes Educational qualification as mentioned in Rule-8.

Computation of length of the service for promotion to the post of Assistant Engineer will be done for the continuous length of service done in capacity of Junior Engineer, in case of junior engineer been promoted to the post of Additional Assistant Engineer, The same shall be computed for the combined length of service done in capacity of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer.

(2) (ii-a) 1.67 percent by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Technical/Computers) in the ratio of their cadre strength who have completed five year's satisfactory service, as such, on the first day of the year of recruitment and who


(2) (ii-a) **1.67 percent** post by promotion from amongst the substantively appointed Junior Engineer (Technical and Computer) and Additional Assistant Engineer (**Technical and Computer**), who have completed **five years** of satisfactory service, as such, on the first day of

possess a Bachelor's degree in Electrical or Mechanical Engineering from a University established by law in India or a degree recognized the Government as equivalent there to or must have passed Section 'A' and 'B' examination of the Institution of Engineers (India) in Electrical or Mechanical Engineering.

the year of recruitment and who passes Educational qualification as mentioned in Rule-8.

Computation of length of the service for promotion to the post of Assistant Engineer will be done for the continuous length of service done in capacity of Junior Engineer, in case of junior engineer been promoted to the post of Additional Assistant Engineer, The same shall be computed for the combined length of service done in capacity of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer.

By order


(Amit Singh Negi)
Secretary